

यमुना नदी में प्रदूषण पर नगिरानी समितिकी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

यमुना नदी की सफाई की देखरेख के लिये नियुक्त एक नगिरानी समितिकी रिपोर्ट के अनुसार, यमुना नदी का एक छोटा सा हिस्सा ही इस नदी के अधिकांश प्रदूषण लिये ज़िम्मेदार है।

प्रमुख बंदि

- उत्तराखंड के यमुनोत्री से प्रयाग तक यमुना नदी की कुल लंबाई 1370 कर्मी. है। दल्लि में यह नदी केवल 54 कर्मी. के क्षेत्र (पल्ला से बदरपुर के बीच) से होकर गुज़रती है।
- नगिरानी समितिकी रिपोर्ट के अनुसार, दल्लि के वजीराबाद से ओखला तक यमुना नदी का 22 कर्मी. का हिस्सा (नदी की कुल लंबाई का 2% से भी कम) सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और नदी के कुल प्रदूषण में लगभग 76 प्रतिशत योगदान इस क्षेत्र का है।
- वजीराबाद से ओखला के बीच ऐसे कई स्थान हैं जहाँ नदी 9 माह तक सूखी रहती है।
- जब तक नदी में न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित नहीं किया जाता तब तक इस नदी का पुनरुद्धार संभव नहीं है।
- समिति ने पल्ला और वजीराबाद में यमुना के पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के लिये ऑनलाइन प्रणाली की व्यवस्था करने हेतु DPCC (Delhi Pollution Control Committee) और CPCB (Central Pollution Control Board) के साथ मलिकर संयुक्त रूप से एक तंत्र स्थापित करने की सफिराशि की है।

प्रदूषण का कारण

- नदी के इस क्षेत्र में प्रदूषण का प्रमुख कारण नदी में गैर-शोधित औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों का नपिटान है।
- समितिकी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में दूषित जल उपचार संयंत्रों (CETP) के उपयोग की क्षमता भी कम है। दल्लि में 28 औद्योगिक क्लस्टर हैं और इनमें से 17 क्लस्टर 13 CETP से जुड़े हुए हैं। शेष 11 क्लस्टर किसी भी CETP से नहीं जुड़े हैं।
- प्रदूषण का एक और कारण नदी में औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों का प्रत्यक्ष एवं अनियमित नपिटान है क्योंकि घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्टों के आपस में मलि जाने के बाद उनका शोधन संभव नहीं हो पाता है।

समितिके बारे में

- राष्ट्रीय हरति अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने सेवानवित्त वशिषज्ज सदस्य बी.एस सजवान और दल्लि की पूर्व मुख्य सचवि शैलजा चंद्रा की सदस्यता वाली नगिरानी समितिका गठन किया था और 31 दसिंबर, 2018 तक नदी की सफाई पर एक कार्ययोजना व वसित्त रिपोर्ट जमा करने का नरिदेश दिया था।

राष्ट्रीय हरति प्राधकिरण

- पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्तिकाे नुकसान के लिये सहायता और क्षतपूरतदिने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी नपिटारे के लिये राष्ट्रीय हरति अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरति अधिकरण की स्थापना की गई।
- यह एक वशिषिट नकिया है जो बहु-अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय वविदों के नपिटान के लिये आवश्यक वशिषज्जता द्वारा सुसज्जित है।
- यह अधिकरण सविलि प्रक्रिया संहति, 1908 के अंतर्गत नरिधारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन इसे नैसर्गिक न्याय के सदिधांतों द्वारा नरिदेशित किया जाता है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/less-than-yamuna-stretch-accounts-for-76-per-cent-of-river-pollution>

